फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरलाल | विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 113 / 20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प रख्यावल में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रकाश पिता हकमा दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम भंवरलाल पिता हकमा है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट व जवाब पेश किया जिसमें प्रकाश व भंवरलाल को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादी द्वारा अपनी पहचान स्वरूप ग्राम पंचायत रख्यावल का प्रमाणित सजरा, राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, बैंक पास की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, अंकतालिका की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादी का नाम भंवरलाल पिता हकमा दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली व ग्राम पंचायत के अनुसार भंवरलाल एवं प्रकाश एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 137 से [illegible], [illegible]9, 171 से 177 किता 12 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी नम्बर [illegible], 162, 163 किता 3 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादी का नाम प्रकाश [illegible] पिता हकमा के बजाय प्रकाश उर्फ भंवरलाल पिता हकमा दर्ज किया जाने [illegible] आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021</u>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री भंवरलाल पिता हकमा डांगी निवासी लवारिया रख्यावल तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 113/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00249</u>

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 137 से 140, 169, 171 से 177 किता 12 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 161, 162, 163 किता 3 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि में वादी का नाम प्रकाश पिता हकमा के बजाय प्रकाश उर्फ भंवरलाल. पिता हकमा दर्ज [illegible] जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:01:53 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।